



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8203 वर्ष 2026

देवी प्रसाद शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रखर श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 44 सन् 2001, धारा 409, 420 आई.पी.सी., थाना टोड़ी फतेहपुर, जनपद झांसी में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रारंभ में इंगित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.04.2001 को दर्ज की गई थी, आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट वर्ष 2003 से लंबित हैं और आवेदक के विरुद्ध धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा भी जारी की जा चुकी है। आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 19493 सन् 2019 प्रस्तुत किया था, जिसे आवेदक को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय प्रदान करते हुए निस्तारित किया गया था। आवेदक ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसके पश्चात आवेदक ने पुनः धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 21664 सन् 2026 प्रस्तुत किया, जिसे भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2026 के आदेश के माध्यम से निस्तारित करते हुए आवेदक को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए चार सप्ताह का और समय प्रदान किया गया। आवेदक फिर भी उपस्थित नहीं हुआ और उसने वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत कर दी है। आवेदक फरार है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचारणीय नहीं माना जाना चाहिए।

4. आपत्तियों का उत्तर देते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हो चुका है। वह लगभग 73 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।



6. प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2001 में दर्ज की गई थी। आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट दिनांक 27.09.2003 से लंबित हैं। आवेदक ने आरोप-पत्र दिनांक 31.12.2002, संज्ञान आदेश दिनांक 11.03.2003 तथा गैर-जमानती वारंट दिनांक 28.10.2004 को निरस्त किए जाने के साथ-साथ मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 19493 सन् 2019 प्रस्तुत किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 16.05.2019 के आदेश द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों को निरस्त किए जाने संबंधी प्रार्थना को निरस्त कर दिया था। मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया था कि यदि आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधि के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा और आदेश की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि तक आवेदक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि आवेदक गैर-जमानती वारंट के अस्तित्व तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने से अवगत था। आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का विकल्प चुना और पुनः धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस न्यायालय ने आवेदक को चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, ताकि आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके और यदि आवेदक जमानत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधि के अनुसार विचार किए जाने का निर्देश दिया गया तथा पुनः चार सप्ताह की अवधि के लिए आवेदक को कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने के रूप में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया।

7. इस न्यायालय द्वारा आवेदक को बार-बार अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, आवेदक ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होने का विकल्प चुना है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया



गया है, आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट वर्ष 2003 से लंबित हैं। न्यायालय की राय में, आवेदक फरार है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार नहीं किया जा सकता। अतः यह अग्रिम जमानत याचिका एतद्वारा **निरस्त** की जाती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

ए. पांडेय